

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3458
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिह्नित जिलों में 'टीबी मुक्त भारत' अभियान

3458. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:

डॉ. विनोद कुमार बिंद:

श्री अनुराग शर्मा:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

श्री दुलू महतो:

डॉ. राजेश मिश्रा:

श्री नव चरण माझी:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

श्री सुरेश कुमार कश्यप

श्री राजकुमार चाहर:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा हाथरस और झारखंड जिलों सहित चिह्नित जिलों में टीबी मुक्त भारत अभियान में प्रभावी कार्यान्वयन और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निभाई जाने वाली संभावित विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं;
- (ख) मंत्रालय का उक्त अभियान में जागरूकता और भागीदारी को अधिकतम करने के लिए एमएसएमई संघों और क्षेत्रीय फ़ील्ड कार्यालयों के साथ किस प्रकार समन्वय करने का प्रस्ताव है;
- (ग) टीबी से पीड़ित एमएसएमई कामगारों को जांच शिविरों के माध्यम से किस प्रकार की चिकित्सा सहायता और अनुवर्ती देखभाल प्रदान किए जाने की संभावना है;
- (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उक्त सहयोग सरकार के समग्र दृष्टिकोण को किस प्रकार दर्शाता है;
- (ङ) मंत्रालय द्वारा उक्त सहयोग से क्या-क्या परिणाम अपेक्षित हैं; और
- (च) उक्त अभियान के अंतर्गत हाथरस जिले में योजनाओं और परिणामों का व्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय अनुक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु सहयोगात्मक कार्यों को सुकर बनाने पर सहमति व्यक्त की है। टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान, उत्तर प्रदेश के हाथरस तथा झारखंड के 4 जिलों सहित अभियान वाले जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा अतिसंवेदनशील आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें संगठित करने के लिए की गई विशिष्ट जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

- अभियान में एमएसएमई के सभी कार्यालयों, संस्थानों और संबद्ध संगठनों को शामिल करना।
- क्षेत्र अधिकारियों सहित सभी कार्यालयों में आईईसी सामग्री का प्रदर्शन।
- सभी कर्मचारियों में टीबी के प्रति जागरूकता सृजन करना।
- सभी संगठनों/कार्यालयों/संस्थाओं में नि-क्षय शपथ लेना।
- एल एमएसएमई और औद्योगिक केंद्रों में नि-क्षय शिविर (स्क्रीनिंग शिविर)।
- सोशल मीडिया पर जागरूकता संदेशों का प्रसार।
- एमएसएमई के विभिन्न संगठनों और संस्थानों से नि-क्षय मित्रों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना

(ग): अभियान के दौरान निदान प्राप्त सभी टीबी रोगियों, जिनमें एमएसएमई कार्यकर्ता भी शामिल हैं, को राज्य/जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुफ्त उपचार और उचित स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ा गया है।

(घ) और (ङ): यह सहयोग, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार, टीबी का शीघ्र पता लगाने, पहचाने गए मामलों का उचित उपचार करने तथा नए मामलों को रोकने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ टीबी उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को पूरक बनाता है।

(च): अभियान के दौरान हाथरस में, 10,540 नि-क्षय शिविर आयोजित किए गए और 3,67,048 अतिसंवेदनशील आबादी की जांच की गई जिसके माध्यम से 1,062 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है।
